4 जोधपुर ◆ गुरुवार ◆ 25 दिसम्बर, 2008
राजस्थान पत्रिका

टर्न ओवर टैक्स की वसूली अनुचित

जोधपुर, 24 दिसम्बर (विसं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाणिज्य कर विभाग की रिवीजन याचिकाएं खारिज करते हुए निर्धारित किया है कि कन्साइन्मेंट सेल्स, ब्रांच ट्रांसफर, अंतरराज्यीय बिक्री व एक्सपोर्ट बिक्री पर टर्नओवर टैक्स लगाना अनुचित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने कहा कि कन्साइन्मेंट सेल्स, ब्रांच ट्रांसफर, अंतरराज्यीय बिक्री व एक्सपोर्ट बिक्री वार्षिक टर्नओवर की परिभाषा में नहीं आता। इस प्रकार की बिक्री को टर्न ऑवर टैक्स के योग्य मानना विधि सम्मत नहीं है। उच्च न्यायालय ने मैसर्स एचईजी लिमिटेड के मामले में राजस्थान टैक्स बोर्ड के निर्णय को सही मानते हुए वाणिज्य कर विभाग की रिविजन याचिकाएं खारिज कर दी। विभाग ने कहा था कि ऐसी बिक्री पर वसूला गया टर्नओवर टैक्स विधि सम्मत होते हुए भी टैक्स बोर्ड ने अप्रार्थी को लौटाने का आदेश दिया है। विभाग को ऐसा कर वसूलने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी कम्पनी की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता ने कहा कि टर्नओवर टैक्स की वसूली गैर कानूनी है।

14 दैनिक भास्कर
जोधपुर, गुरुवार 25 दिसंबर, 2008

टर्न ओवर टैक्स गैर कानूनी

विधि संवाददाता. जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कंसाइनमेंट सेल्स, ब्रांच ट्रांसफर, अंतरराज्यीय बिक्री व एक्सपोर्ट बिक्री पर राजस्थान वाणिज्य कर विभाग द्वारा टर्न ओवर टैक्स लगाने को गैर कानूनी करार दिया है।

न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने यह आदेश बिक्री कर विभाग की दो रिवीजन याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, कंसाइनमेंट सेल्स, ब्रांच ट्रांसफर, अंतरराज्यीय विक्रय व एक्सपोर्ट बिक्री वार्षिक टर्न ओवर की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसलिए सरकार द्वारा इस प्रकार की बिक्री को टर्न ओवर टैक्स के योग्य मानना विधि सम्मत नहीं। बिक्री कर विभाग ने दो अलग-अलग रिवीजन पेश कर राजस्थान टैक्स बोर्ड के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2007-08 में मैसर्स एचईजी लि. पर लगाए गए टर्न ओवर टैक्स की राशि विभाग द्वारा वापस लौटाना गलत है।

कंपनी के अधिवक्ता अमित मेहता ने कहा कि कर निर्धारण अधिकारी ने

हाईकोर्ट का निर्णय

टर्न ओवर में अंतरराज्यीय बिक्री, राज्य के बाहर कंसाइनमेंट सेल्स, ब्रांच ट्रांसफर व एक्सपोर्ट को सम्मिलित कर टर्न ओवर टैक्स राशि बढ़ाकर आरोपित कर दी। अधिवक्ता मेहता ने कहा कि कानून के प्रावधानों के तहत जब कर निर्धारण अधिकारी को इस प्रकार की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार ही नहीं है तो छूट प्रदान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने कहा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कंसाइनमेंट सेल्स, ब्रांच ट्रांसफर, अंतरराज्यीय बिक्री व एक्सपोर्ट बिक्री को सम्मिलित कर आरोपित की गई टर्न ओवर टैक्स की राशि गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने कर निर्धारण अधिकारी को टर्न ओवर टैक्स की राशि को पुनः निर्धारित करने के आदेश दिए।